

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA



दिल्ली राजपत्र Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-27042023-245481
SG-DL-E-27042023-245481

असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 7]	दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 26, 2023/वैशाख 6, 1945	[रा.रा.क्षे.दि. सं. 34
No. 7]	DELHI, WEDNESDAY, APRIL 26, 2023/VAISAKHA 6, 1945	[N. C. T. D. No. 34

भाग III
PART III

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग
शुद्धिपत्र

दिल्ली, 26 अप्रैल, 2023

सं. फा. 3(679)/Tariff/DERC/2022-23/7460/172.—दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम, 2023, एनसीटीडी नं. 5, दिनांकित 25 अप्रैल, 2023 को दिल्ली राजपत्र असाधारण भाग-III, द्वारा अधिसूचित किया गया है।

2. इस विनियम के हिन्दी संस्करण में कुछ विसंगतियां पाई गई हैं जिन्हें निम्नलिखित शुद्धिपत्र के द्वारा सुधार करने की आवश्यकता है:

पृष्ठ 2 में विनियम 1(1);

इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम, 2023 कहा जाएगा और ये 1/04/2013 से लागू होंगे।

को पढा जाये

इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम, 2023 कहा जाएगा और ये 1/04/2023 से लागू होंगे।

3. यह शुद्धिपत्र आयोग के अनुमोदन पर जारी किया गया है।

राजेश दाँगी, सचिव

DELHI ELECTRICITY REGULATORY COMMISSION**CORRIGENDUM**

Delhi, the 26th April, 2023

No. F. 3(679)/Tariff/DERC/2022-23/7460/172.—Delhi Electricity Regulatory Commission (Business Plan) Regulations, 2023 have been notified vide Delhi Gazette Extraordinary Part-III dated 10 April, 2023, NCTD No. 5.

2. Whereas certain discrepancies have been observed in the Hindi version of the said Regulations, which need to be rectified by issuing following corrigendum:

At page 2 under Regulation 1 (1)**For**

इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम, 2023 कहा जाएगा और ये 1/04/2013 से लागू होंगे।

Read

इन विनियमों को दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (व्यवसाय योजना) विनियम, 2023 कहा जाएगा और ये 1/04/2023 से लागू होंगे।

3. This Corrigendum is issued with the approval of the Commission.

RAJESH DANGI, Secy.